E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2020; 2(2): 87-90
Received: 05-06-2020
Accepted: 08-09-2020

डॉ0 मीनाक्षी कुमारी
+2 शिक्षिका (इतिहास)
शिवगंगा बालिका +2 उ0वि0,
मधुबनी, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
डॉ0 मीनाक्षी कुमारी
+2 शिक्षिका (इतिहास)
शिवगंगा बालिका +2 उ0वि0,
मधुबनी, बिहार, भारत।

आधुनिक आर्थिक नियंत्रण एवं कौटिल्य के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 मीनाक्षी कुमारी

सारांश
प्रस्तुत शोध–प्रबंध ''आधुनिक आर्थिक नियंत्रण एवं कौटिल्य की विचारों का तुलनात्मक अध्ययन'' मे यह बताया गया है कि कौटिल्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार आधुनिक आर्थिक व्यवस्था से समृद्ध थी। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कौटिलयकाल में जहाँ एक ओर कठोर नियंत्रणात्मक नीति अपनाई गई थी। वही भारत में इस प्रकार के आर्थिक नियंत्रण के सारे उपाय किए गए थे। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संबंधी कानूनों को कठोरता से अनुपालन कराया जाना जहाँ कौटिल्यकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषता थी वहीं आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था आज असामाजिक व्यवहार समाज विरोधी अनैतिक प्रवृति राष्ट्र एवं सार्वजनिक हित की अपेक्षा, निजी लाभ की प्रेरणा काफी बलवती हो गयी है। इन सारी बातों का तुलनात्मक विश्लेषण इस शोध–प्रबंध में किया गया है।

परिचय :– कौटिल्य का नाम, जन्म तिथि और जन्मस्थान तीनों ही विवाद के विषय रहे हैं। 'कौटिल्य' नाम की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए पंडित शमाशास्त्री ने विष्णु–पुराण का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है – तान्नदान कौटल्यों ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति। कभी कौटिल्य को लेकर तो कभी कौटल्य को लेकर कई विवाद हुए है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है जिनमें वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, वारानक, कात्यान इत्यादि पर इन्हें पहचान चाणक्य और कौटिल्य के नाम से ही मिली।

कौटिल्य भारत के इतिहास में सबसे अधिक सक्षम राजनीतिज्ञ और मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य का उदय होने और महान मौर्य राजवंश के आगमन के पीछे कौटिल्य का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। ''अर्थशास्त्र'' मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी तथा राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते हुए उसके बहुमुखी विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता था।

मुख्य शब्द: आर्थिक नियंत्रण, कौटिल्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, तान्नदान कौटल्यों ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति

प्रस्तावना

कौटिल्य देश के बहुमुखी आर्थिक विकास के लिए सरकारी अहस्तक्षेप की नीति एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। परंतु वे निर्वाचित एवं निरंकुश स्वतंत्रता के पक्षधर न होकर एक मर्यादित स्वतंत्रता की कल्पना किये थे। उनकी मान्यता थी कि मर्यादित स्वतंत्रता एवं अहस्तक्षेप किसी भी राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जबकि निरंकुश स्वतंत्रता अन्ततः किसी भी अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर देती है। वास्तव में निरकुंश स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था में मत्स्यन्याय को जन्म देती है जिससे देश में आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। इस कारण देश का आर्थिक विकास अवरूद्ध होता है। [1]

विश्लेषण और व्याख्या :–

प्राचीनकाल से ही राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकोषीय घन का दुरूपयोग एवं गबन कमोवेश होता रहा है। इस संदर्भ में कौटिल्य का मत है कि जिस प्रकार जीभ में रखे मधु या विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार वित्त से संबंधित अधिकारी राजकीय घन का थोड़ा भी गबन न करें, यह सर्वथा असम्भव है। राजकीय कर्मचारी कितने प्रकार से राजकीय धन का अपहरण करते हैं यह नहीं जाना जा सकता है। [2] कौटिल्य ने राजकोषीय धन के गबन एवं भ्रष्टाचार के महाघातक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने वाले घटकों, भ्रष्टाचार के संभावित केन्द्र बिन्दुओं, भ्रष्टाचार के

विविध तरीकों, भ्रष्टचार का पता लगाने के विविध तरीकों, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा भ्रष्टाचारियों के लिए दण्ड प्रावधान आदि के विषय में व्यापक विचार किया है। उनका मत है कि उच्च पदस्थ शासनकर्ताओं को निष्ठापूर्वक नियमित रूप से राज कार्यो का संचालन एवं निरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा राष्ट्र अनेक प्रकार के आंतरिक और वाह्य संकटों से घिर जाता है। [3]

कौटिल्य ने राजकीय धन के गबन के संबंध में विभिन्न तरीके इंगित किए है जिसके माध्यम से कर्मचारी भ्रष्टाचार एवं राजद्रव्य का अपहरण कर सकते हैं। ये चालीस प्रकार के हैं [4] जैसे-फसल में प्राप्त द्रव्य को दूसरी फसल आने पर रजिस्टर में चढ़ाना, राजकर को रिश्वत लेकर छोड़ देना, राजकर से मुक्त देवालय ब्राह्मण आदि से लेकर वसूलना, पूरे प्राप्त धन को अधूरा प्राप्त दिखलाना, जो द्रव्य प्राप्त हुआ है उसकी जगह दूसरा द्रव्य भर देना, देने योग्य वस्तु को न देना, जो वस्तु देने योग्य नहीं है उसे दे देना, समय पर वस्तु को न देना, रिश्वत लेकर असमय में वस्तु को दे देना, थोड़ा देकर बहुत लिख देना, बहुत देकर थोड़ा लिख देना, अभीष्ट वस्तु की जगह दूसरी ही वस्तु दे देना, जिस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है उसके बदले किसी दूसरे को दे देना, राजकीय धन को वसूल करके कोष में जमा न करना, राजाज्ञा से वस्त्रादि क्रय करके तत्काल मूल्य न चुकाकर कुछ रकम ही देना, सामूहिक कर को अलग-अलग व्यक्तियों से वसूल करना, अलग-अलग व्यक्तियों से वसूले जाने वाले कर को सामूहिक रूप से वसूलना, बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य वस्तु से बदल देना, रिश्वत लेकर बाजार में वस्तुओं के मूल्य घटा देना, बढ़ा देना, नौकरों की संख्या बढ़ाकर लिख देना, एक स्रोत से हुई आय को दूसरे स्रोत से हुई दर्ज करना, ब्राह्मण आदि को स्वीकृत धन से कुछ स्वयं ले लेना, कुटिल उपायों से अतिरिक्त धन वसूलना, सामूहिक वसूली से न्यूनाधिक्य रूप से धन लेना, वर्ण विषमता दिखाकर धन का अपहरण करना, जहाँ मूल्य निर्धारित न हो, वहाँ दाम बढ़कर लाभ कमाना, तौल में कमी वेशी से आय अर्जित करना, नाप में विषमता पैदा कर धन कमाना तथा बड़े पात्र के स्थान पर छोटे पात्र से देना आदि प्रमुख है।

भ्रष्टाचारियों एवं गबनकर्मियों का पता लगाने के संबंध में पुरातन आचार्यो का मत है कि यदि किसी अधिकारी की आय कम तथा व्यय अधिक दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह राजकीय धन का अपहरणकर्ता है। यदि आय के अनुपात में व्यय है तो समझना चाहिए कि व न तो गबनकर्ता है और न रिश्वतखोर। किन्तु कौटिल्य का मत है कि राजकीय धन का गबनकर्ता तथा रिश्वतखोर अधिकारी भी थोड़ा खर्च कर सकता है, अतः कठोर गुप्तचर निगरानी व जाँच-पड़ताल से ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान की जा सकती है। [5]

सरकारी सम्पत्तियों के दुरूपयोग करने वाले एवं गबनकर्ता को उनके अपराध के अनुरूप दंड देने की व्यवस्था थी। गबन किए गए धन के संबंध में यदि सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं मिलते थे तो थोड़े धन का गबन सिद्ध होने पर उसे गबन के लिए उतरदायी माना जाता था। साथ ही गबनकर्ताओं को दण्डस्वरुप उनकी संपति जब्त कर ली जाती थी।

यदि कोई निष्पक्ष राष्ट्रभक्त व्यक्ति किसी अधिकारी के गबन की सूचना देता था तो अपराध सिद्ध होने पर गबन किए गए धन का छठा हिस्सा सूचनादाता को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। यदि किसी सूचनादाता ने निराधार आरोप लगाया है या द्वेष भावना से प्रेरित होकर आरोप लगाया है तो ऐसे सूचनादाता पर भी समुचित शारीरिक-आर्थिक दण्ड दिया जाता था। [6]

कौटिल्य का यह भी विचार था कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार एवं राजकीय धन का गबन नहीं करते बल्कि न्यायनिष्ठ होकर राज्य की समृद्धि में लगे रहते हैं, ऐसे चरित्रवान अधिकारियों को सदा सम्मानित करते हुए उच्च पदों पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।

आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय धन के दुरूपयोग एवं गबन के संदर्भ में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के साथ ही भारत में औद्योगिकरण की लहर सी आ गयी। लोगों में सम्पति एकत्र करने की लालसा उत्पन्न हुई तथा इसीके साथ जनमानस की नैतिकता का ह्रास आरंभ हुआ। तीव्र औद्योगिकरण के चलते समय में एक नवधनाढ्य वर्ग का उदय हुआ। बाजार में विलासिता की वस्तुओं का अम्बार लग गया। लोग यह भी जानते हैं कि इन वस्तुओं को कालेधन से ही खरीदा जा सकता है। फलतः भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला।

आज राष्ट्रशोषण उन्मूलन तथा दरिद्रता की निवारण की नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्प है। इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए योजनाओं की सफलता आवश्यक है। परंतु इन योजनाओं की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नियंत्रण के बिना योजनाऐं सफल नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारी प्रवृतियों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति समय-समय पर सरकार द्वारा की गयी है। निगरानी आयोग, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा लोक लेखा समिति ने भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य को अधिक प्रभावी ढ़ंग से करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के स्थान पर नई व बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 लाया गया है। इस अधिनियम में प्रथमवार लोक कर्तव्य की परिभाषित करते हुए लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रयास किया गया है। शीर्षस्थ स्थानों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कैबिनेट, राज्य तथा उपमंत्रियों को ही नहीं वरन् प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के कटघरे में लाने का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार कौटिल्यकालीन एवं आधुनिक राजकोषीय धन के गबन पर नियंत्रणात्मक नीति के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्यकाल में राजकोषीय धन के गबन पर एक कठोर नियंत्रणात्मक नीति अपनायी गयी थी, परंतु आधुनिक भारत में इस प्रकार के नियंत्रण के बहुत सारे उपाय किए गए। इस दिशा में कई अधिनियम को पारित किए गए। फिर भी प्रजातंत्रात्मक एवं कल्याणकारी राज्य होने के नाते इस नियंत्रणात्मक उपाय के अंतर्गत इतने अधिक रिसाव है जिस कारण ये नियंत्रणात्मक उपाय कठोर एवं प्रभावी नहीं हो पाते हैं और हमारा समाज एवं देश भ्रष्टाचार के चंगुल में दिन-व-दिन और अधिक तेजी से फँसता जा रहा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में करवंचना एवं तस्करी को रोकने की दृष्टि से अनेक प्रकार के प्रावधान किए। शासन द्वारा देश, जाति, आचार के अनुरूप नए तथा पुराने पदार्थो पर करोपण की व्यवस्था की जाती थी। कर का निर्धारण इस ढ़ंग से किया जाता था कि जिससे देश का उपकार हो। [7]

यदि कोई कर बचाने के उद्देश्य से उत्पादन केन्द्रों, खेतों, खानो में ही क्रय-विक्रय करता था तो उन्हें राजकीय कर को नुकसान पहुँचाने के कारण दंडित किया जाता था। [8] अगर किसी व्यापारी के पास मुहर रहित माल होता था तो उसे कर चोरी का प्रयास मानते हुए देय कर का दुगुना जुर्माना किया जाता था। [9] विदेशी व्यापारी के माल की

सुरक्षा तथा कर दोनों दृष्टिकोण से भलीभाँति जाँच की जाती थी। उनकी गुप्तचरों द्वारा सतत् निगरानी की जाती थी तथा समस्त प्राप्त जानकारी शुल्काध्यक्ष तथा उच्चशासन को भेज दिया जाता था। [10] अगर किन्हीं वस्तुओं के निर्यात को शासन ने प्रतिबंधित कर दिया है तो ऐसी वस्तुओं के निर्यातकर्ता को घोषणानुसार दंडित किया जाता तथा ऐसे माल को अधिगृहित कर लिया जाता था। [11]

इस तरह कौटिल्यकालीन भारत में करवंचना, तस्करी इत्यादि पर नियंत्रण करने हेतु बहुत सख्त एवं कठोर विधान थे। परंतु आधुनिक समय में व्यैक्तिक धन की लिप्सा इतनी बढ़ गयी कि करदाता प्रायः हर हाल में करवंचना करना चाहते है तथा कालाधन अर्जन की लिप्सा तस्करी को भी काफी प्रश्रय दिया है। सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार के कर लगाए गए हैं। नितांत व्यैक्तिक दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण अनेक व्यक्ति विकास में कर के माध्यम से अंशदान नहीं करना चाहते, फलतः विविध प्रकार के उपायों से कर चोरी की जाती है।

उपभोक्ता के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण एवं उपभोक्ता संरक्षण

वास्तव में कौटिल्यकाल में आर्थिक क्रियाकलापों की विकसित अवस्था थी। आदान–प्रदान, देशी–विदेशी व्यापार व्यापक ही चले थे। कौटिल्य ने उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को समझा तथा उन व्यावसायिक बारीकियों को जान लिया जिनके द्वारा व्यवसायीगण जनता को धोखा दे सकते थे। ऐसी बारीकियों का अर्थशास्त्र में विशद वर्णन है।

कौटिल्य ने उपभोक्ता संरक्षण, संबंधी विचारों एवं नियमों को दो वर्गो में प्रस्तुत किया है। निर्माताओं से संबंधित उपभोक्ता से संबंधित, उपभोक्ता संरक्षण नियम व्यापारियों से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण नियम निर्माताओं के अंतर्गत शिल्पी कारीगर, बुनकर, दर्जी, स्वर्णकार, महाजन वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य वर्गो तथा नर्तक, नाटककार आदि को शामिल किया गया था। जबकि व्यापारी वर्ग में क्रय–विक्रय से जीविका चलाने वाले व्यवसायियों जिनमें थोक व्यापार, फुटकर व्यापारी, फेरीवाले भी आ जाते है, को शामिल किया गया था। कौटिल्यकाल में व्यापार, वाणिज्य को अनेक आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधाऐं प्राप्त थी और उन्हें उचित लाभ लेने दिया जाता था, परंतु उपभोक्ता को भी पूर्ण राजकीय समर्थन प्राप्त था। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को कठोरता से अनुपाल कराया जाना कौटिल्यकालीन भारत की एक मुख्य विशेषता थी।

व्यवसाय नियंत्रण :

व्यवसाय नियंत्रण आर्थिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वस्तुतः व्यवसाय नियंत्रण के द्वारा आर्थिक नियंत्रण का ठोस आधार प्रदान किया जा सकता है। यह ज्ञातव्य है कि कौटिल्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक संरचना काफी उन्नत थी तथा उद्योग, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि काफी जटिलता की ओर अग्रसर होती जा रही थी, क्योंकि आर्थिक क्रिया कलापों पर राष्ट्रीय हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वर्ण एवं अर्थ लोलुपता हावी होती जा रही थी। इसी कारण कौटिल्य ने इस परिप्रेक्ष्य में मापतौल संबंधी नियमन, आयात–निर्यात संबंधी नियमन, राजकीय शुल्क नियमन, क्रय–विक्रय इत्यादि पर नियमन एवं नियंत्रण करना आवश्यक समझा। इसी के तहत व्यावसायिक नियंत्रण की प्रक्रिया तय की गयी। [12]

कौटिल्यकालीन भारत में व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं एवं क्रियाकलापों यथा वस्तुओं का वजन, विदेशी व्यापार, राजकीय कर एवं शुल्क, वस्तुओं की खरीद–बिक्री इत्यादि क्षेत्र में किए गए नियंत्रणात्मक उपाय काफी कठोर था।

जहाँ तक आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का संदर्भ है इस संबंध में आज असामाजिक व्यवहार, समाज विरोधी अनैतिक प्रवृति राष्ट्र एवं सार्वजनिक हित की उपेक्षा, निजी लाभ की प्रेरणा काफी बलवती हो गयी है। [13]

यहाँ एक तथ्य है कि केवल मंहगाई नियंत्रण एवं उचित मूल्य निर्धारण ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् जनता के पास पर्याप्त क्रयशक्ति होना भी आवश्यक है। क्रयशक्ति के अभाव में उचित मूल्य भी अप्रसांगिक हो जाते हैं। इस पहलू पर भी कौटिल्य ने दृष्टिपात किया है। अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने समयानुकूल पारिश्रमिक निर्धारण का आधार तथा जीवन निर्वाह पारिश्रमिक की अवधारणा भी प्रस्तुत की है ताकि समाज के सभी व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके।

जहाँ तक आधुनिक मूल्य वृद्धि एवं महंगाई का सवाल है साधारणतया आर्थिक विकास के साथ–साथ मुद्रास्फीति एवं सामान्य न्यूनतम मूल्यवृद्धि की अनुभूति स्वस्थ्य अर्थतंत्र की पहचान है, परंतु निरंतर एवं लगातार अत्यधिक मूल्य वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था को चरमरा देती है।

आर्थिक नियंत्रण :

कौटिल्यकालीन आर्थिक नियंत्रण के अंतर्गत मजदूरी नियमन एवं नियंत्रण का भी कड़ा विधान था। मजदूरी संबंधी नियमों का विवेचन करते हुए कौटिल्य ने यह मत व्यक्त किया है कि जो मजदूर चयन देकर कार्य न करे, उसे अनिवार्य रूप से अर्थदंडित किया जाना चाहिए, किन्तु अपरिहार्य कार्य आ जाने, बीमार हो जाने, विपत्ति में फँस जाने पर वह आकस्मिक अवकाश ले सकता है। कार्य को वह बाद में पूरा कर सकता है। [14] कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आकस्मिक अवकाश की अवधारणा आधुनिक राज्य द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त कर चुकी है। प्रत्येक कर्मचारियों को वर्षभर में अपरिहार्य कार्यो को सम्पन्न करने के लिए निश्चित संख्या में आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि ले सकने का अधिकार प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष :– वास्तव में भारत में अनेक गौरवशाली एवं महिमापंडित शास्त्रकार हुए, परंतु अर्थशास्त्र के माध्यम से कौटिल्य राष्ट्र का ही नहीं वरन् विश्व के सबसे बड़े उपादेय अर्थशास्त्री बन गई है। कौटिल्य ने लगभग 2500 वर्षो से पूव जो आर्थिक चिंतन स्थापित किये गये थे वे आज भी समस्त विश्व में अक्षरशः सत्य माने जाते हैं और भविष्य में भी माने जाते रहेंगे। खासकर भारत के लिए यह आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। भारतीय राजनीति विचारक कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे जिसे ‘‘भारत का मैकियावेली’’ कहा गया है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था के वे जनक थे। एक सुदृढ़ व विकेन्द्रीकृत शासन प्रदान किया। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैक्यावली और बेकन ने मिलकर किया, भारत में यह अकेले कौटिल्य ने संपादित किया।

संदर्भ सूची :–

1. डॉ राधाकुमुद मुखर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसका काल
2. अर्थशास्त्र : 2 / 9 / 32–34
3. वही, : 1 / 19 / 1–5
4. वही, : 2 / 8 / 26

5. अर्थशास्त्र : 2/9/10–12
6. वही, : 2/8/29–32
7. वही, : 2/22/8,15
8. अर्थशास्त्र : 2/22/8–14
9. अर्थशास्त्र : 2/21/3
10. अर्थशास्त्र : 2/21/27
11. अर्थशास्त्र : 2/21/22
12. बी0ब्रेलूर : कौटिल्य स्टडीज
13. डॉ0 ए0एस0 अग्रवाल : भारत का औद्योगिक विकास
14. डॉ0 रघुनाथ सिंह : कौटिल्य अर्थशास्त्र